संख्या जी0आई0— 07 / 1—11—2015—3(जी) / 2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—11 लखनऊ:दिनॉक: 09 अप्रैल, 2015

विषयः—राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता हेतु संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 32—7 / 2014—एन0डी0एम0आई0, दिनॉक 08.04.2015 में राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे दिनॉक 01.04.2015 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त निर्देश में माह फरवरी / मार्च 2015 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को भी आच्छादित करने के निर्देश दिये गये है।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 08.04.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के द्वारा मानक एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉक 08.04.2015 संलग्नक सहित राहत की वेबसाइड www.rahat.up.nic पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

9/4/15

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

371 GO-R-11-r

फैक्स / समयबद्ध

संख्या- 226 / 1-10-2015 33(16) / 2015 टी0सी0-4

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊःदिनॉकः 09 अप्रैल, 2015

विषयः-भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नये मानक / दरों के अनुसार फरवरी / मार्च 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप हुये अतिवृष्टि / ओलावृष्टि से कृषि फसलों की क्षति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या जी0आई0-07 / 1-11-2015-रा0-11, दिनॉक 09.04.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 32-7 / 2014-एन0डी0एम0आई0, दिनॉक 08.04.2015 में राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे दिनॉक 01.04.2015 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त निर्देश में माह फरवरी / मार्च 2015 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को भी आच्छादित करने के निर्देश दिये गये है।

2. भारत सरकार के संशोधित मानक में कृषि फसलों की 33 प्रतिशत क्षति पर राहत अनुमन्य किये जाने के साथ ही कृषि निवेश अनुदान की दरों में भी वृद्धि की गयी है।

3. अतः अनुरोध है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 08.04.2015 के अनुसार गाटावार / फसलवार कृषि फसलों की क्षति का विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिनॉक 11.04.2015 को अपरान्ह 05.00 बजे तक फैक्स / इमेल-relief_commissioner@yahoo.com के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

4. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉक 08.04.2015 संलग्नक सहित राहत की वेबसाइड www.rahat.up.nic पर भी उपलब्ध है।

5. किसानों को तत्काल राहत प्रदान किया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। अतः समयबद्धता अपेक्षित है

भवदीय,
9/4/15
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

1 GO R 11 r